EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB. SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 438-439
Dated : 21-3-1992

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(पूर्वी संभाग नियम)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1992

का.नि. 143 :—ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 28 के प्रावधानों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र नियमावली 1981 में और आगे संशोधन करते हुए जो निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड (संशोधन) नियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 16 के उपनियम (3) के खण्ड (iii) में "उप शीर्ष" शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

(क) वेतन
(ख) मजदूरी
(ग) अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान
(घ) यात्रा व्यय
(ङ) चिकित्सा व्यय
(च) किराया, महसूल और कर
(छ) कार्यालय व्यय
(ज) व्यावसायिक और विशिष्ट सेवाओं के लिए भुगतान
(झ) प्रकाशन
(ञ) प्रशिक्षण
(ट) पेंशन/उपदान
(ठ) ऋण एवं अग्रिम
(ड) अनुरक्षण
(ढ) भूमि
(ण) भवन
(त) मशीनरी तथा उपस्कर
(थ) मोटर वाहन
(द) निर्माण
(ध) उपक्रम
(न) सुपुर्दगी
(प) अन्य व्यय

[सं. 23/25/91 जे. आर. सी. डब्ल्यू/आर]

हरभगवान खेत्रवानी, अवर सचिव

(E.R. Wing)

New Delhi, the 6th March, 1992

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the provisions of Section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Brahmaputra Board Rules, 1981, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Brahmaputra Board (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981, in sub-rule (3) in clause (iii) for the entries under the heading "sub-head", the following entries shall be substituted, namely:—

(a) Salaries
(b) Wages
(c) Contributions to Contributory Provident Fund
(d) Travel Expenses
(e) Medical Expenses
(f) Rent, Rates and Taxes
(g) Office Expenses
(h) Payment for Professional and Special Services
(i) Publication
(j) Training
(k) Pensions/Gratuities
(l) Loans and Advances
(m) Maintenance
(n) Land
(o) Building
(p) Machinery and Equipments
(q) Motor Vehicles
(r) Works
(s) Suspense
(t) Depreciation
(u) Other Expenses

[No. 23/25/91/IRC/ER]

HARBHAGWAN KHETWANI, Under Secy.

BRND—710\3(3)92—VII—100 20-5-92